NDOH 25/02/2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

INDEX

IN

Status Report

(On behalf of District Magistrate, Haridwar)

In Compliance with the Hon'ble Tribunal's Order dated 15.10.2024

IN

O.A. No. 632 OF 2022

V.K. Tyagi Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand & Ors. Respondent(s)

S. No	Particulars	Pg. No.
1.	Index	1 - 1
2.	Status Report	2 - 4
3.	**Annexure No. 1:** Copy of Minutes of hearing held 28.12.2024.	5 - 23
4.	**Annexure No. 2:** Copy of letter dated 10.02.2025 of Executive Engineer, Irrigation Department regarding re-verification on ground.	24 - 26
5.	**Annexure No. 3:** Copy of letter dated 17.02.2025 communicated to the State Government regarding Flood Plain Zoning of river Solani.	27 - 47

6. **Proof of Service see at page no.** **48**

Place: New Delhi

Dated: 21.02.2025

Dhruv Tamta

Advocate

Counsel for the State of Uttarakhand

Chamber No. 331, M.C. Setalvad Bock Supreme Court of India, Bhagwan Das Road, New Delhi Mo. 9899989917

Email - tamtaadvocates@outlook.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Status Report

(On behalf of District Magistrate, Haridwar)

In Compliance with the Hon'ble Tribunal's Order dated 15.10.2024

IN

O.A. No. 632 OF 2022

V.K. Tyagi Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand & Ors. Respondent(s)

1. That the matter of the Flood Plain Zoning of River Sonali is under consideration before the Hon'ble Tribunal.
2. That on 15.10.2024, after the course of hearing in the present matter, this Hon'ble Tribunal was pleased to pass certain directions and direct the respondents to inform as to how many objections has been received and within how much time the same shall be disposed of. The relevant paras of the said Order dated 15.10.2024 are being quoted here for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal:

"....

3. Learned Counsel appearing for State of Uttarakhand stated that now under the statute, 60 days' time is to be allowed

to effected parties and general public to file their objections, if any, and thereafter, finalization of objections shall be done and then, final Notification shall be issued.

4. Let this matter be listed immediately after expiry of 60 days whereupon State of Uttarakhand shall inform as to how many objections it has received and within how much time the same shall be disposed of.

....."

3. That it is respectfully submit that after issuance of draft notification dated 15.10.2024, a total of 67 objections/representations were received from various stakeholders. Physical hearing was organized on 28.12.2024 under the Chairmanship of District Magistrate, Haridwar. Copy of Minutes of hearing held 28.12.2024 is being marked and filed as **Annexure No. 1** with this status report.

4. That during the course of hearing, out of total of 67 objections/representations, 54 objections/representations were disposed of and 13 objections/representations were considered for re-verification on ground. Re-verification of all 13 objections/representations was carried out by the Irrigation Department and submitted their observation for further disposal. Reply dated 10.02.2025 of the Executive Engineer, Irrigation Department, Roorkee is being marked and filed as **Annexure No. 2** with this status report.

5. That based on the physical hearing and re-verification on ground, a detailed proposal has been submitted to the State Government for consideration of Flood Plan Zoning of river Sonali under the Flood Plain Zoning Act, 2012. Copy of letter dated 17.02.2025 is being marked and filed as **Annexure No. 3** with this status report.

Accordingly, submitted for kind consideration of the Hon'ble Tribunal.

Dr. Rajendra Singh
Regional Officer,
UKPCB, Roorkee

Er. Dinesh Chandra Uniyal
Executive Engineer
Irrigation Department,
Roorkee

Ashish Kumar Mishra
Joint Magistrate, Roorkee

District Magistrate
Haridwar

Annexure No. 1

दिनांक 28/12/2024 को कलेक्ट्रेट सभागार भवन रोशनाबाद, हरिद्वार में जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार द्वारा मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) में योजित मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.10.2024 के अनुपालन में बाढ़–मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना अनुसूची 01 एवं 02 में उल्लेखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा के उपरान्त शासन द्वारा निर्गत अनन्तिम अधिसूचना के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई का कार्यवृत्त।

सुनवाई के दौरान निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी तथा आपत्तिकर्त्ता उपस्थित रहेः–

1. श्री कर्मेन्द्र सिंह – जिलाधिकारी, हरिद्वार।
2. श्री डी0एस0 नेगी – अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हरिद्वार।
3. श्री दिनेश चन्द्र उनियाल – अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूड़की
4. श्री ओमजी गुप्ता – अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार
5. डॉ0 राजेन्द्र सिंह – क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, रूड़की
6. श्री आलोक कुमार – सहायक अभियन्ता प्रथम, सिंचाई खण्ड, रूड़की
7. श्री गोपाल सिंह चौहान – सहायक अभियन्ता चतुर्थ, सिंचाई खण्ड, रूड़की
8. श्री राजवीर सिंह – सहायक अभियन्ता पंचम, सिंचाई खण्ड, रूड़की
9. श्री गौरव गोयल – सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार
10. श्री प्रताप सिंह चौहान – तहसीलदार रूड़की
11. श्री प्रवीन्द्र कुमार – जिलेदार, सिंचाई खण्ड, रूड़की
12. श्री अनिल गुप्ता – नायब तहसीलदार, भगवानपुर
13. श्री रईश – कनिष्ठ अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूड़की
14. समस्त आपत्तिकर्त्ता(सूची संलग्न)

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण तथा आपत्तिकर्त्तागणों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त समस्त आपत्तिकर्त्ताओं की सूचीबद्ध सुनवाई की गई। आपत्तिकर्त्ताओं के सुनवाई के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार से हैः–

बिन्दु सं0 1:–भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट लि0, ग्राम मुकीमपुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार, मो0–97177706040, आपत्ति का दिनांक–04.11.2024, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि नियमो और परमिट के अनुसार स्थापित भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट लि0 ने 55,159 मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट युक्त लैंडफिल सुरक्षित कर लिया है, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1989/HW Rules 2016 एवं MOEF एवं सी0सी0 एवं सी0पी0सी0बी0 दिशा निर्देशो के अनुसार लैंडफिल साईट की निगरानी और रख–रखाव 30 साल तक किया जाना है। अतः अनुरोध किया है कि सोलानी नदी के बाढ़ मैदान क्षेत्र का सीमाकन और पहचान करते हुए भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट लि0 के पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार वर्तमान में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) सोलानी नदी के दोनो किनारो पर फिल्ड में सीमाकन एवं निशानदेही का कार्य किया गया है। अतः भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट लि0 की आपत्ति निराधार है एवं खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 2:–श्री सौरभ जुयाल पुत्र श्री मनोहर जुयाल, निवासी–04 बलबीर रोड देहरादून मो0– 9997744929 आपत्ति का दिनांक–26.11.2024, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्तिकर्ता की पुनः स्थल पर निरीक्षण की मांग स्वीकार की जाती है एवं तिथि नियत कर संयुक्त निरीक्षण पुनः किया जायेगा, जिसमें सिंचाई विभाग रूडकी एवं राजस्व विभाग हरिद्वार तथा आपत्तिकर्त्ताओं का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए लगभग 2 माह का समय लग सकता है।

बिन्दु सं0 3:—श्री अमनदीप सिंह सेठी अधिकृत हस्ताक्षरी मै0 एच0एन0 कोरपरेशन रेटस प्राईवेट लि0 सिक्का हाउस प्रीत विहार विकास मार्ग देहली मो0—9997744929 आपत्ति का दिनांक—26.11.2024, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि उत्तराखण्ड शासन से दिनांक—23.01.2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना की एवं भारत सरकार/राज्य सरकार आवास नीति के अनुरूप किफायती आवास के निर्माण हेतु अनुमति ली गई है। भूमि को प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है। विकय कर ली गई है। विकय पत्र पंजीयन की प्रकिया शेष है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्तिकर्ता की पुनः स्थल पर निरीक्षण की मांग स्वीकार की जाती है एवं तिथि नियत कर संयुक्त निरीक्षण पुनः किया जायेगा, जिसमें सिंचाई विभाग रूडकी एवं राजस्व विभाग हरिद्वार तथा आपत्तिकर्त्ताओं का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए लगभग 2 माह का समय लग सकता है।

बिन्दु सं0 4:—श्री राजेन्द्र सिंह, नरेश पाल पुत्रगण रहतूलाल यश्वेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल निवासी—नकीवपुर उर्फ घोषीपुरा तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, मो0 6397742029, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्राम भिक्कर घोषपुर में खसरा नं0—488 में चकमार्ग दर्शित है, जबकि उक्त खसरा नम्बर आपत्तिकर्ता के नाम अंकित है एवं ग्राम नकीबपुर उर्फ घोषीपुरा में खसरा नम्बर—804 पर नदी दर्ज है, जबकि उक्त खसरा नम्बर आपत्तिकर्ता के नाम दर्ज है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्तिकर्ता की आपत्ति का निरीक्षण कर लिया गया है। आपत्तिकर्ता की आपत्ति सही पाई गई है। टंकन त्रुटि के कारण उक्त खसरा नम्बरो में नदी एवं चकमार्ग दर्शित हुआ है। अतः आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 5:—श्री शमशाद अली पुत्र शान अली व इरफान अली पुत्र मौ0 शफी निवासी—खंजरपुर रूडकी जिला—हरिद्वार आपत्ति का दिनांक—16.12.2024, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 6:—श्री मुस्तकीम पुत्र ईस्माईल, श्री मोहसीन, शौकीन पुत्रगण मुस्तकीम निवासी—ग्राम खन्जरपुर तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, मो0—8954057572, आपत्ति का दिनांक—13.12.2024, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो उचित भूमि मुआवजा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 7:—मौ0 असलम, अकरम, मुर्करम पुत्रगण अली हसन व मुर्तजा पुत्र मकसूद व शहजाद पुत्र नूरहसन निवासी—ग्राम खन्जरपुर तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, आपत्ति का दिनांक—13.12.2024, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो उचित भूमि मुआवजा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड

में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 8:—श्री रमेश सिंह पुत्र धर्मसिंह, दिलीप सिंह पुत्र बीर सिंह, श्री अजय सिंह, हरिओम, अनिल, प्रदीप कुमार पुत्रगण कंवर सिंह निवासी— ग्राम खन्जरपुर तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, आपत्ति का दिनांक—13.12.2024, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 9:—श्री उदय सिंह पुत्र स्व0 रामदास, निवासी—ग्राम खटका तहसील—रूडकी आपत्ति दिनांक—16.12.2024 मो0—6398606968, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जाय।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 10:—श्री राकेश पुत्र स्व0 रामदास निवासी—ग्राम खटका तहसील—रूडकी आपत्ति दिनांक—16.12.2024 मो0—8630921788, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जाय।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 11:—श्री सुभाष कुमार पुत्र स्व0 यशपाल, निवासी—ग्राम खटका तहसील—रूडकी आपत्ति दिनांक—16.12.2024 मो0—9837485831, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जाय।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 12:—श्री नूरहसन व युनुस पुत्र नसीब खां निवासी—ग्राम कान्हापुर तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, आपत्ति का दिनांक—15.12.2024, मो0—96756656734, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि कि तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो नदी की भूमि ली जायें अथवा भूमि का मुआवजा तथा भूमि के बदले भूमि दी जाय।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड

में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 13:—श्री धर्मेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार, अर्जुन कुमार पुत्रगण स्व0 धर्मसिंह, विनोद, सुदीप कुमार, अशोक कुमार पुत्रगण जयपाल सिंह निवासी—ब्रहमपुर तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, आपत्ति का दिनांक—16.12.2024, मो0—9027657068, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो नदी की भूमि ली जायें अथवा भूमि का मुआवजा तथा भूमि के बदले भूमि दी जाय।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 14:—श्री नूरहसन व युनुस पुत्र नसीब खां निवासी—ग्राम कान्हापुर तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक—16.12.2024, मो0—9760940076, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो नदी की भूमि ली जायें अथवा भूमि का मुआवजा तथा भूमि के बदले भूमि दी जाय।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 15:—श्री बिजेन्द्र कुमार, राजकुमार, अनिल कुमार पुत्रगण ताराचन्द्र, श्रीमति कान्ती देवी पत्नी रघुवीर सिंह, निवासी—ग्राम कान्हापुर तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, आपत्ति का दिनांक—13.12.2024, मो0—9675656734, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो नदी की भूमि ली जायें अथवा भूमि का मुआवजा तथा भूमि के बदले भूमि दी जाय।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 16:—श्री जिला सिंह पुत्र स्व0 नकली, निवासी—ग्राम कान्हापुर तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक—16.12.2024, मो0—9837732453, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो नदी की भूमि ली जायें अथवा भूमि का मुआवजा तथा भूमि के बदले भूमि दी जाय।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 17:—श्री नाथीराम पुत्र नकली कान्हापुर तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक—16.12.2024, मो0—9837732453, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो नदी की भूमि ली जायें अथवा भूमि का मुआवजा तथा भूमि के बदले भूमि दी जाय।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 18:–श्री अरविन्द कुमार पुत्र बाबूराम निवासी–ग्राम खटका तहसील–रूडकी आपत्ति दिनांक–16.12.2024 मो0–9967966550, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो मुआजवा अथवा भूमि के बदले बंजर भूमि दी जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 19:–श्री सुन्दर पुत्र रामदास, निवासी–ग्राम खटका तहसील–रूडकी आपत्ति दिनांक–16.12.2024 मो0–8979696114, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो मुआजवा अथवा भूमि के बदले बंजर भूमि दी जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 20:–श्री यासीन पुत्र दीन मौहम्मद, निवासी–ग्राम कान्हापुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक–16.12.2024, मो0–9627229928, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो मुआजवा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 21:–मौ0 मुस्तकीम, मौ0 इकबाल, मौ0 अफजाल, मौ0 फययाज, मौ0 वहीद, मौ0 इरफान पुत्रगण हाशिम, सलमान, शादाब, शेरखान पुत्रगण सयद, निवासी–ग्राम कान्हापुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार, आपत्ति का दिनांक–16.12.2024, मो0–6396648606, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो मुआजवा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 22:–श्री मुनसब, इरसाद, निसार पुत्रगण हसमत, नूरहसन पुत्र मुनफैत, बिरासत, अफसर अली, आजम पुत्रगण इलियास, फरमान, गुलजार, शहजाद पुत्रगण यामीन, निवासी–ग्राम कान्हापुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक–16.12.2024, मो0–7617472850, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो मुआजवा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 23:–श्री मुस्तफा, मुर्तजा, जब्बार, राज्जाद पुत्रगण कारिम, निवासी–ग्राम कान्हापुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक–16.12.2024, मो0–9012120100, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो मुआजवा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 24:–श्री इखलाख पुत्र शौकत, श्री नूरअली, अफसर अली, मुज्जमिल,मुदस्सीर पुत्रगण हुसैन अली, आशिया पुत्री मुस्तकीम,काफिया पुत्री मुर्सलीन, जुबेर, गुलजार पुत्रगण अली अहमद, रियासत, फिरासत, हसरत अली, नसरत अली पुत्रगण तहसीन, नूरआलम, अकील अहमद पुत्रगण यासीन, मौ0 सरताज, मौ रियाज पुत्रगण मुस्तफा, निवासी–ग्राम कान्हापुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार, आपत्ति का दिनांक–16.12.2024, मो0–969022351, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो मुआजवा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 25:–श्री गालिब पुत्र मौ0 अली, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार/दिनांक–16.12.2024, मोब0–9997513775, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 26:–श्री शमशाद पुत्र इस्लाम, दिलशाद पुत्र इस्लाम, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार/दिनांक–16.12.2024, मोब0–9639752940, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 27:—श्री शमशाद पुत्र इस्लाम, दिलशाद पुत्र इस्लाम, निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार/दिनांक—16.12.2024, मोब0—9639752940, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 28:—श्री बिलाल अहमद, तुफैल अहमद, जुबेर आलम, मौ तैयब पुत्रगण यामीन, श्री शमशाद पुत्र इस्लाम, दिलशाद पुत्र इस्लाम, निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—16.12.2024, मोब0—9058027833, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 29:—श्रीमति बतूल पत्नी मल्हू, श्री सुहेब आलम पुत्र समीम, श्री शमशाद पुत्र इस्लाम, दिलशाद पुत्र इस्लाम, निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—16.12.2024, मोब0—9737267655, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 30:—श्री नफीस, फुरकान, इरफान, इमरान पुत्रगण ताहिर हसन, श्री शमशाद पुत्र इस्लाम, दिलशाद पुत्र इस्लाम, निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—16.12.2024, मोब0—8077865796, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 31:—श्री धर्मवीर सिंह, निवासी—खुब्बनपुर, तहसील—भगवानपुर, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मोब—9759079172, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि भूमि को नदी से दूर बताया गया है एवं प्रतिषिद्व व निर्बन्धित घोषित न करने की प्रार्थना की गई है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्तिकर्ता की शिकायत के अनुसार पुनः तिथि निर्धारित करते हुए संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा।

बिन्दु सं0 32:—श्री राजकुमार, रमेश, नरेश, दिनेश पुत्रगण जुल्फीराम, मुकेश, स्वराज, बंसत, ऋषिपाल, महीपाल पुत्रगण श्यामलाल, परमिन्दर पुत्र रामवीर निवासी—ग्राम—मलकपुर माजरा, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मोब0—9897096835, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 33:—श्री मेहर सिंह, जोगेन्द्र, मेहराज पुत्रगण गौतम सिंह, रविकान्त, सूर्यकान्त पुत्रगण अमर सिंह, रमेश चन्द्र, तेजपाल, रामकुमार पुत्रगण शौभाराम आदि समस्त निवासी गण, ग्राम ब्रहमपुर, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 34:—श्री सलीम अहमद पुत्र रहमइलाही, निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार/दिनांक—17.12.2024, मोब0—7906568176, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 35:—श्री सलीम अहमद पुत्र रहमइलाही, निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार/दिनांक—17.12.2024, मोब0—7906568176, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 36:—श्रीमति शमशीदा पत्नी सलीम निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मोब0—7906568176, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 37:—श्रीमति शमशीदा पत्नी सलीम निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मोब0—7906568176, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 38:—श्री इलियास पुत्र मौ अली निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मोब0—7017120301, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 39:—श्री इलियास पुत्र मौ अली निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मोब0—7017120301, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 40:—श्री शौकत पुत्र रहमइलाही, निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मोब0—8923204176, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 41:—श्री कयूम पुत्र शौकत, निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मोब0—8923204176, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 42:—श्री मुकेश कुमार पुत्र भूप सिंह, निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मोब0—9536150590, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 43:—श्री मुकेश कुमार पुत्र भूप सिंह, निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मोब0—9536150590, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 44:—श्री शौकत पुत्र रहमइलाही, निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मोब0—8923204176, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 45:—श्री नवाब, ईनाम, कयूम, अयूब, महबूब पुत्रगण शौकत, निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मो0नं0—8923204176, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो उचित मुआवजा अथवा भूमि के बदले बंजर भूमि दी जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 46:—श्री जुल्फू पुत्र फुल्लु, तनवीर, नाजिम पुत्रगण मुमताज, निवासी—कान्हापुर, सत्यपाल पुत्र वेदपाल निवासी—आर्दश नगर, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मो0नं0—6395692644, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो उचित मुआवजा अथवा भूमि के बदले बंजर भूमि दी जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 47:—श्री शाकीब पुत्र मुनसब, निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मोब0—639887115, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो उचित मुआवजा अथवा भूमि के बदले बंजर भूमि दी जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 पी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 48:—श्री सुक्कड सिंह पुत्र ज्योतिराम निवासी—लाव्वा, तहसील—भगवानपुर, जिला—हरिद्वार/दिनांक—17.12.2024, मो0—9759528803, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्राम लाव्वा कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्तिकर्ता की पुनः स्थल पर निरीक्षण की मांग स्वीकार की जाती है एवं तिथि नियत कर संयुक्त निरीक्षण पुनः किया जायेगा, जिसमें सिंचाई विभाग रूडकी एवं राजस्व विभाग हरिद्वार तथा आपत्तिकर्त्ताओं का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए लगभग 2 माह का समय लग सकता है।

बिन्दु सं0 49:—श्री विनेश कुमार पुत्र यशपाल सिंह, निवासी—लाव्वा, तहसील—भगवानपुर, जिला—हरिद्वार/दिनांक—17.12.2024, मो0—9557927196, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्राम लाव्वा कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्तिकर्ता की पुनः स्थल पर निरीक्षण की मांग स्वीकार की जाती है एवं तिथि नियत कर संयुक्त निरीक्षण पुनः किया जायेगा, जिसमें सिंचाई विभाग रूडकी एवं राजस्व विभाग हरिद्वार तथा आपत्तिकर्त्ताओं का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए लगभग 2 माह का समय लग सकता है।

बिन्दु सं0 50:—श्री सत्यपाल पुत्र श्री कालूराम, निवासी—लाव्वा, तहसील—भगवानपुर, जिला—हरिद्वार/दिनांक—17.12.2024, मो0—8477023828, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्राम लाव्वा कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्तिकर्ता की पुनः स्थल पर निरीक्षण की मांग स्वीकार की जाती है एवं तिथि नियत कर संयुक्त निरीक्षण पुनः किया जायेगा, जिसमें सिंचाई विभाग रूडकी एवं राजस्व विभाग हरिद्वार तथा आपत्तिकर्त्ताओं का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए लगभग 2 माह का समय लग सकता है।

बिन्दु सं0 51:—श्री तेल्लूराम पुत्र रामस्वरूप, निवासी—लाव्वा, तहसील—भगवानपुर, जिला—हरिद्वार/दिनांक—17.12.2024, मो0—9761247295, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्राम लाव्वा कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्तिकर्ता की पुनः स्थल पर निरीक्षण की मांग स्वीकार की जाती है एवं तिथि नियत कर संयुक्त निरीक्षण पुनः किया जायेगा, जिसमें सिंचाई विभाग रूडकी एवं राजस्व विभाग हरिद्वार तथा आपत्तिकर्त्ताओं का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए लगभग 2 माह का समय लग सकता है।

बिन्दु सं0 52:—श्री मुनेश कुमार पुत्र कालूराम, निवासी—लाव्वा, तहसील—भगवानपुर, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मो0—9536421625, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्राम लाव्वा कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र

से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्तिकर्ता की पुनः स्थल पर निरीक्षण की मांग स्वीकार की जाती है एवं तिथि नियत कर संयुक्त निरीक्षण पुनः किया जायेगा, जिसमें सिंचाई विभाग रूडकी एवं राजस्व विभाग हरिद्वार तथा आपत्तिकर्त्ताओं का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए लगभग 2 माह का समय लग सकता है।

बिन्दु सं0 53:—श्री सुरेश, ऋषिपाल, कल्लू, जनेश्वर, प्रदीप पुत्रगण तुंगल, निवासी—कान्हापुर, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मो0—7500321034, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो उचित मुआवजा अथवा भूमि के बदले बंजर भूमि दी जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 54:—श्री प्रदीप पुत्र तुंगल, निवासी—कान्हापुर, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मो0—9690229036, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कियदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो उचित मुआवजा अथवा भूमि के बदले बंजर भूमि दी जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 55:—श्री मामचन्द्र पुत्र हिरवा, निवासी—औरेंगजेबपुर, तहसील—भगवानपुर, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मो0—9690229036, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्राम औरेंगजेबपुर कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्तिकर्ता की पुनः स्थल पर निरीक्षण की मांग स्वीकार की जाती है एवं तिथि नियत कर संयुक्त निरीक्षण पुनः किया जायेगा, जिसमें सिंचाई विभाग रूडकी एवं राजस्व विभाग हरिद्वार तथा आपत्तिकर्त्ताओं का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए लगभग 2 माह का समय लग सकता है।

बिन्दु सं0 56:—श्री भारत भूषण पुत्र श्री बलदेव सहाय, निवासी—औरेंगजेबपुर, तहसील—भगवानपुर, जिला—हरिद्वार/दिनांक—17.12.2024, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्राम औरेंगजेबपुर कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्तिकर्ता की पुनः स्थल पर निरीक्षण की मांग स्वीकार की जाती है एवं तिथि नियत कर संयुक्त निरीक्षण पुनः किया जायेगा, जिसमें सिंचाई विभाग रूडकी एवं राजस्व विभाग हरिद्वार तथा आपत्तिकर्त्ताओं का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए लगभग 2 माह का समय लग सकता है।

बिन्दु सं0 57:—श्री ऋषिपाल सिंह पुत्र श्री चरत सिंह, निवासी—औरेंगजेबपुर, तहसील—भगवानपुर, जिला—हरिद्वार/दिनांक—17.12.2024, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्राम औरेंगजेबपुर कि वर्णित

भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्तिकर्ता की पुनः स्थल पर निरीक्षण की मांग स्वीकार की जाती है एवं तिथि नियत कर संयुक्त निरीक्षण पुनः किया जायेगा, जिसमें सिंचाई विभाग रूडकी एवं राजस्व विभाग हरिद्वार तथा आपत्तिकर्त्ताओं का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए लगभग 2 माह का समय लग सकता है।

बिन्दु सं0 58:—श्री जयकुमार पुत्र श्री चमेल सिंह, निवासी—औरैंगजेबपुर, तहसील—भगवानपुर, जिला—हरिद्वार/दिनांक—17.12.2024, मो0—9719242597, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्राम औरैंगजेबपुर कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्तिकर्ता की पुनः स्थल पर निरीक्षण की मांग स्वीकार की जाती है एवं तिथि नियत कर संयुक्त निरीक्षण पुनः किया जायेगा, जिसमें सिंचाई विभाग रूडकी एवं राजस्व विभाग हरिद्वार तथा आपत्तिकर्त्ताओं का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए लगभग 2 माह का समय लग सकता है।

बिन्दु सं0 59:—श्री असलम, नसीम, अहसान, रफीक, वसीम पुत्रगण कल्लू, श्रीमति मुस्तकीना पत्नी कल्लू, निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मोब0—7820014525, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 60:—श्री गालिब पुत्र मौहम्मद अली, निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मोब0—9997513775, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 61:—श्री इलियास पुत्र मौहम्मद अली, निवासी—ग्राम खटका, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मोब0—7017120301, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 62:—श्रीमति सविता पत्नी मैनपाल, निवासी—औरैंगजेबपुर, तहसील—भगवानपुर, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मो0—6395537560, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्राम औरैंगजेबपुर कि वर्णित भूमि स्थल

नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्तिकर्ता की पुनः स्थल पर निरीक्षण की मांग स्वीकार की जाती है एवं तिथि नियत कर संयुक्त निरीक्षण पुनः किया जायेगा, जिसमें सिंचाई विभाग रूडकी एवं राजस्व विभाग हरिद्वार तथा आपत्तिकर्त्ताओं का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए लगभग 2 माह का समय लग सकता है।

बिन्दु सं0 63:—श्रीमति सावित्री पत्नी भोपाल सिंह, निवासी—औरेंगजेबपुर, तहसील—भगवानपुर, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मो0—9761051261, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्राम औरेंगजेबपुर कि प्रार्थी को दिनांक—17.12.2024 को ही बाढ मैदान क्षेत्र/बाढ़ प्रतिषिद्व करने की घोषणा की जानकारी मिली है। उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में कोई नोटिस जारी नही किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार वर्तमान में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) सोलानी नदी के दोनो किनारो पर फिल्ड में सींमाकन एवं निशानदेही का कार्य किया गया है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति निराधार है एवं खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 64:—श्री भोपाल सिंह, राजकुमार पुत्रगण चौहल सिंह, निवासी—औरेंगजेबपुर, तहसील—भगवानपुर, जिला—हरिद्वार, दिनांक—17.12.2024, मो0—9761051261, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्राम औरेंगजेबपुर कि प्रार्थी को दिनांक—17.12.2024 को ही बाढ मैदान क्षेत्र/बाढ़ प्रतिषिद्व करने की घोषणा की जानकारी मिली है। उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में कोई नोटिस जारी नही किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार वर्तमान में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) सोलानी नदी के दोनो किनारो पर फिल्ड में सींमाकन एवं निशानदेही का कार्य किया गया है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति निराधार है एवं खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 65:—श्रीमति राधा पत्नी स्व0 जगदीश, निवासी—औरेंगजेबपुर, तहसील—भगवानपुर, जिला—हरिद्वार/दिनांक—17.12.2024, मो0—7409379518, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्राम औरेंगजेबपुर कि प्रार्थी को दिनांक—17.12.2024 को ही बाढ मैदान क्षेत्र/बाढ़ प्रतिषिद्व करने की घोषणा की जानकारी मिली है। उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में कोई नोटिस जारी नही किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार वर्तमान में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) सोलानी नदी के दोनो किनारो पर फिल्ड में सींमाकन एवं निशानदेही का कार्य किया गया है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति निराधार है एवं खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0 66:—श्री राकेश पुत्र ओमप्रकाश, पुष्पा रानी पुत्री धर्मवती मनोज कुमार पुत्र राजेन्द्र, प्रदीप कुमार पुत्र ऋषिपाल, निवासी—खन्जरपुर मलकपुर, तहसील—रूडकी, जिला—हरिद्वार, दिनांक—18.12.2024, मो0—8077441577, आपत्तिकर्त्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूडकी द्वारा बैठक मे सुनवाई के दौरान बताया गया कि पुनः निरीक्षण हेतु 13 आपत्तियां अलग–अलग जगह की होने के कारण पुनः निरीक्षण करने हेतु सिंचाई विभाग रूडकी एवं राजस्व विभाग हरिद्वार तथा आपत्तिकर्त्ताओं का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए लगभग 2 माह का समय लग सकता है।

बैठक के अन्त में सभी उपस्थित अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण तथा आपत्तिकर्त्तागणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूडकी को निर्देशित किया गया कि वे उक्त 13 आपत्तिकर्ताओं से समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित तहसील के तहसीलदारों से सम्पर्क स्थापित कर 13 आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति का पुनः निरीक्षण करते हुए मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कर समस्त आपत्तियों का निस्तारण आख्या/सूचना बिन्दुवार संकलित कर एक पक्ष के भीतर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
(कर्मेन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।
28.12.2024

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।

संख्याः 1597 /एल0बी0ए0/2024 दिनांकः 28 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सिंचाई सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट, रूडकी।
4– उप जिलाधिकारी हरिद्वार/लक्सर/भगवानपुर।
5– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूडकी/हरिद्वार।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण, बोर्ड रूडकी।
7– समस्त तहसीलदार, जनपद हरिद्वार।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी–वि0/रा0
हरिद्वार।

बैठक की उपस्थिति

विषयः—माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) में योजित मूल आवेदन संख्या—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.10.2024 के संबंध में जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार की अध्यक्षता में आहूत सुनवाई के संबंध में।

दिनांकः—28.12.2024 समयः—11:00

क्र0सं0	नाम	पदनाम	व्हाट्सएप्प नंबर	हस्ताक्षर
1	कर्मेन्द्र सिंह	जिलाधिकारी (H)	8218070970	[signature]
2	D. S Negi	ADM-F/R	9412360661	[signature]
3				
4	सुखपाल सिंह सैनी	लेखपाल	9759528803	S.S.Saini
5	नारायण सिंह	औरंगाबाद कपूर	9761816835	[signature]
6	दिनेश चन्द्र उनियाल	अधि० अभियन्ता सिंचाई खण्ड रु० की	9720135566	[signature]
7	आलोक कुमार	सहायक अभियन्ता सि० ख० रुड़की	7088778451	[signature]
8	राजवीर सिंह	सहायक अभियन्ता सि० ख० रुड़की	9456670157	[signature]
9	गोपाल सिंह	सहायक अभियन्ता सि० ख० रुड़की	9897883025	[signature]
10	प्रविन्द्र कुमार	जिलेदार सि० ख० रुड़की	9410934195	[signature]
11	रईस	कनिष्ठ अभियन्ता I.D. Roorkee	7017035108	[signature]
12	Dr. Rajendra Singh	RO, UKPCB Roorkee	9412383118	[signature]
13	Pratap Singh Chauhan	Tehsildar (L)	9410312009	[signature]
14	Pushpesh Pathak	Bharat oil & waste Management Ltd	8874207663	[signature]
15	Sujeet Kr. Bharti	Bharat oil & waste. Man.	8543965479	[signature]
16	Tanveer	Khanpur	6395692644	[signature]
17	इसरार अली	मांडीपुर	9917077840	H.Ali
18	आमद अली	मण्डावर	9690226351	[signature]

क्र0सं0	नाम	पदनाम	व्हाट्सएप्प नंबर	हस्ताक्षर
19	इलयास		7351374403	
20	अफजाल अहमद		9012210085	
21	मुस्तकीम इकबाल इरफान अब्दुल्ला ... सलमान		6396648606	
22	इरफान अली आदि		9837183472	[signature]
23	[signature]		8057639170	[signature]
24	दिलीपसिंह		9917248723	
25	रमेशसिंह		9548644401	
26	Manoj Kumar		9368373372	
27	रमेश कुमार		8077441577	
28	इरशाद		7088261173	
29	राजकुमार		9758901019	
30	Saurabh Juyal	REPRESENTED BY PRAMOD Kr.	9997744929	FOR, [signature]
31	H N Corporated	Amandeep Singh	9997744924	[signature]
32	बेलाल अहमद		9058027833	बेलाल अहमद
33	[illegible]		8979196114	
34	इरमान		8077865796	
35	कयूम		8923204176	
36	इदरीस		9634752440	
37	इदरीस		9634752440	
38	Kurban Ali S/o	Mohd. Galib	9997513775	
39	Omjee Gupta	EE-I-DHRD	7253888835	[signature]

348

क्र0सं0	नाम	पदनाम	व्हाट्सएप्प नंबर	हस्ताक्षर
40	Gourav Goel	AE.2, I.D. Kairana	7417372678	G.Goel.
41	रामकुमार	मलकपुर मजरा	9897096835	रामकुमार
42	Mohd. Aslam	कान्हापुर आढ़	8445614968	[illegible]
43	मुस्तकीम	कान्हापुर आढ़	8954057572	मुस्तकीम
44	कासीम, जब्बार मुस्तजा	कान्हापुर	9012120100	
45	शामसाद	खन्जरपुर	8057639170	[illegible]
46	शाकुल, शरीफ, जमीला (विधवा)	खेड़का	9058027833	शरीफ आतिन
47	यासीन	कान्हापुर	9837623255	
48	मुन्साद अलीम	कान्हापुर	7617472850	
49	नाजिम	कान्हापुर	7248339760	नाजिम
50	गुलजार	कान्हापुर	7500750924	गुलजार
51	मुकेश	खेड़का	9536150090	मुकेश
52	रफीक	खेड़का	7820014525	
53	राहजाद सलीम	ग्राम खेड़का	7906568176	
54	रुमसीदा पत्नी सलीम	ग्राम खेड़का	7906568176	
55	Kushboo Ali S/o	Mohd. Galib	9997513775	
56	नवाब	खेड़का	9837080957	नवाब
57	राधा	औरंगाबादपुर	9761051261	राधा
58	गोपाल सिंह	औरंगाबादपुर	9761051261	[illegible]
59	मैनपाल सिंह	औरंगाबादपुर	9719396942	मैनपाल सिंह
60	Devendra Kumar	मजरा मलकपुर	9897096835	Devender

अप्र

क्र0सं0	नाम	पदनाम	व्हाट्सएप्प नंबर	हस्ताक्षर
61	स्वरूप सिंह	मलकपुर मांजरा	8476807495	
62	रेनु रानी	कान्हापुर	9837860297	
63	बिजेन्द्र कुमार	कान्हापुर	9675656734	[illegible]
64	माधी राम	कान्हापुर	9837732453	[illegible]
65	मुकुल	कान्हापुर	~~9675676~~ 9675686730	[illegible]
66	Ajeet Singh	Bharmpur	8218060882	Ajeet
67	विजय कुमार	कान्हापुर	7830555322	वि. कु. कुमार
68	[illegible]	[illegible]	9759534307	[illegible]
69	कान्ती	[illegible]	09410990076	कान्ती
70	[illegible]	[illegible]	9634220602	[illegible]
71	कल्लू	कान्हापुर	9927546676	[illegible]
72	[illegible]	कान्हापुर	7500321034	[illegible]
73	ज्ञानेश्वर	कान्हापुर	7500321034	[illegible]
74	जोगिन्द्र	~~[illegible]~~ [illegible]		जोगिन्द्र
75	जयकुमार s/ चन्द्रपाल सिंह	औरंगजेबपुर	9719242597	[illegible]
76	तेलू राम	लालवा	9761247295	तेलूराम
77	दिनेश कुमार	लालवा	9557927196	दिनेश कुमार
78	सतीश कुमार	लालवा	9536421625	सतीश कुमार
79	भारत भूषण	[illegible]	9627542753	भारत भूषण
80	सत्यपाल	लालवा	7817022326	
81				

Annexure No. 2

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूड़की
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूडकी–247667
(ई–मेल–eeidroorkee@gmail.com)

सेवा में,

जिलाधिकारी
हरिद्वार।

पत्रांकः–242/सिं0ख0रू0/बाढ़ परिक्षेत्रण, दिनांकः–10.02.25

विषय– बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) सोलानी नदी के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका कार्यालय सं0–1597/एल0बी0ए0, दिनांक–28.12.2024।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, पत्र के सम्बन्ध में आपके द्वारा 13 आपत्तियों का पुनः निरीक्षण करते हुए मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशो का अनुपालन कर समस्त आपत्तिकर्ताओं का निस्तारण आख्या/सूचना बिन्दुवार संकलित कर प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए है।

अतः आपत्तिकर्ताओं की आपति का निस्तारण करने हेतु स्थल पर पुनः निरीक्षण किया गया जो कि बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

बिन्दु सं0–01 – आपत्तिकर्ता श्री सौरभ जुयाल पुत्र श्री मनोहर जुयाल, निवासी–04 बलबीर रोड देहरादून की आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाया गया है कि भूमि प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0–02 – आपत्तिकर्ता श्री अमनदीप सिंह सेठी अधिकृत हस्ताक्षरी मै0 एच0एन0 कोरपरेशन रेटस प्राईवेट लि0 सिक्का हाउस प्रीत विहार विकास मार्ग देहली की आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाया गया है कि भूमि प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0–03 – आपत्तिकर्ता श्री धर्मवीर सिंह, निवासी–खुब्बनपुर, तहसील–भगवानपुर जिला–हरिद्वार की आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाया गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0–04 – आपत्तिकर्ता श्री सुक्कड सिंह पुत्र ज्योतिराम निवासी–लाव्वा, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार की आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाया गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र दर्षित किये जाने में कोई त्रुटि नही की गई है। वर्तमान में खसरा नम्बर के जिस हिस्से पर आपत्तिकर्ता काबिज है, वह हिस्सा प्रतिषिद्व एवं निर्बन्धित क्षेत्र से बाहर है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0–05 – आपत्तिकर्ता श्री विनेश कुमार पुत्र यशपाल सिंह, निवासी–लाव्वा, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार की आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाया गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र दर्षित किये जाने में कोई त्रुटि नही की गई है। वर्तमान में खसरा नम्बर जिस हिस्से पर आपत्तिकर्ता काबिज है, वह हिस्सा प्रतिषिद्व एवं निर्बन्धित क्षेत्र से बाहर है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0–06 – आपत्तिकर्ता श्री सत्यपाल पुत्र श्री कालूराम, निवासी–लाव्वा, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार की आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाया गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0–07 – आपत्तिकर्ता श्री तेल्लूराम पुत्र रामस्वरूप, निवासी–लाव्वा, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार की आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाया गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0–08 – आपत्तिकर्ता श्री मुनेश कुमार पुत्र कालूराम, निवासी–लाव्वा, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार की आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाया गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0–09 – आपत्तिकर्ता श्री मामचन्द्र पुत्र हिरवा, निवासी–औरेंगजेबपुर, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार की आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाया गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0–10 – आपत्तिकर्ता श्री भारत भूषण पुत्र श्री बलदेव सहाय, निवासी–औरेंगजेबपुर, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार की आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाया गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0–11 – आपत्तिकर्ता श्री ऋषिपाल सिंह पुत्र श्री चरत सिंह, निवासी–औरेंगजेबपुर, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार की आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाया गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0–12 – आपत्तिकर्ता श्री जयकुमार पुत्र श्री चमेल सिंह, निवासी–औरेंगजेबपुर, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार की आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाया गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

बिन्दु सं0–13 – आपत्तिकर्ता श्रीमति सविता पत्नी मैनपाल, निवासी–औरंगजेबपुर, तहसील–मगवानपुर, जिला–हरिद्वार की आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाया गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

इसके अतिरिक्त कार्यालय ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट, रूडकी के द्वारा श्री नाथीराम, सुखबीर सिंह पुत्रगण स्व0 फुल सिंह, निवासी ग्राम सालियर साल्हापुर, तहसील–रूडकी, जिला हरिद्वार कर आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक–18.12.2024 के बाद प्राप्त हुई है, जिसमें आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी भूमि में तटबन्ध के निर्माण हेतु आपत्ति की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फिल्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना प्रस्तावित नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

भवदीय,

(दिनेश चन्द्र उनियाल)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक– /सि0ख0रू0/बाढ़ परिक्षेत्रण, तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख अभियन्ता महोदय, सिचांई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, स्तर–।।, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड हरिद्वार।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिचांई कार्य मण्डल हरिद्वार।

(दिनेश चन्द्र उनियाल)
अधिशासी अभियन्ता

Annexure No. 3

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

सचिव,
सिंचाई अनुभाग एवं
बाढ नियंत्रण अनुभाग–2,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

संख्याः 185 /एल0बी0ए0/2025 दिनांकः 17 फरवरी, 2025

विषयः बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) सोलानी नदी के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के अधिसूचना संख्या–1070/II-2-2024-06(45)/2024 दिनांक 14.10.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) में योजित मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.10.2024 के संबंध में है। जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैः–

1. Despite order dated 08.08.2024, demarcation and identification of flood plain zone has not been completed and only an interim Notification under Section 8 of Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 has been issued on 04.10.2024.
2. Learned Counsel appearing for State of Uttarakhand stated that now under the statute, 60 days' time is to be allowed to effected parties and general public to file their objections, if any, and thereafter, finalization of objections shall be done and then, final Notification shall be issued.
3. Let this matter be listed immediately after expiry of 60 days whereupon State of Uttarakhand shall inform as to how many objections it has received and within how much time the same shall be disposed of.
4. In respect of area of river in State of UP, we are informed that survey of area of river in District Saharanpur will be completed by 15.11.2024 and in District Muzaffarnagar by 15.12.2024 and progress report shall be submitted at least two days before the next date.

प्रश्नगत प्रकरण में अधिसूचना संख्या–1070/II-2-2024-06(45)/2024 दिनांक 14.10.2024 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–992/एल0बी0ए0–2024 दिनांक 16.10.2024 के द्वारा जनपद हरिद्वार की तहसील–भगवानपुर, रूडकी, हरिद्वार एवं लक्सर के अन्तर्गत सोलानी नदी के दोनों तटो पर ग्राम औरंगजेबपुर से उत्तराखण्ड राज्य सीमा (मौहम्मदपुर खादर) तक बाढ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रों में कार्य सम्पादित किये जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्व व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय पता जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, हरिद्वार में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्व या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेंगी। दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण तथा मानव जगत ए ग्रुप ऑफ न्यूज पेपर में दिनांक 18.10.2024 को अनन्तिम अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था। दिनांक 18.10.2024 से दिनांक 18.12.2024 को शाम 05:00 बजे तक आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त किये गये हैं। जिसके क्रम में कुल 67 आपत्तियां प्राप्त हुई है। जिसके क्रम में दिनांक 28 दिसम्बर, 2024 को पूर्वाहन् 11:00 बजे जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार/अपर जिलाधिकारी–वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार/ अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूडकी/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार/सहायक अभियन्ता प्रथम, सिंचाई खण्ड रूडकी/सहायक अभियन्ता चतुर्थ, सिंचाई खण्ड रूडकी/सहायक अभियन्ता, पंचम, सिंचाई खण्ड, रूडकी/सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार/तहसीलदार रूडकी/क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूडकी/जिलेदार सिंचाई खण्ड रूडकी/नायब तहसीलदार, भगवानपुर/कनिष्ठ अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूडकी एवं समस्त आपत्तिकर्ता द्वारा दिनांक 18.12.2024 तक प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु स्थान कलेक्ट्रेट, सभागार रोशनाबाद, हरिद्वार में प्रतिभाग किया गया।

P.T.O.-2

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा बैठक में सुनवाई के दौरान बताया गया कि पुनः निरीक्षण हेतु 13 आपत्तियां अलग–अलग जगह की होने के कारण पुनः निरीक्षण करने हेतु सिंचाई विभाग रूडकी एवं राजस्व विभाग हरिद्वार तथा आपत्तिकर्ताओं का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए लगभग 2 माह का समय लग सकता है। जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूडकी को निर्देशित किया गया कि वे उक्त 13 आपत्तिकर्ताओं से समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित तहसील के तहसीलदारों से सम्पर्क स्थापित कर 13 आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति का पुनः निरीक्षण करते हुए मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों का कडाई से अनुपालन कर समस्त आपत्तियों की निस्तारण आख्या/सूचना बिन्दुवार संकलित कर एक पक्ष के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्तुत संदर्भ में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, रूडकी के पत्रांक–286/सिं0ख0रू0/बाढ परिक्षेत्रण दिनांक 15.02.2025 के द्वारा 67 आपत्तियों में से 13 आपत्तियों का पुनः स्थलीय निरीक्षण करते हुए मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशो का अनुपालन कर समस्त आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति की निस्तारण आख्या/सूचना बिन्दुवार संकलित कर इस कार्यालय प्रस्तुत की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत् है। यथाः–

क्र0 सं0	आपत्तिकर्ता का नाम/पता/आपत्ति प्राप्ति का दिनांक/मोबाईल नं0	आपत्ति का विवरण	आपत्ति का निराकरण
1	भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट लि0, ग्राम मुकीमपुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार, मो0–97177706040, आपत्ति का दिनांक–04.11.2024	आपत्तिकर्ता ने सूचित किया है कि नियमो और परमिट के अनुसार स्थापित भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट लि0 ने 55,159 मीट्रिक टन खतरनाक आपशिफ्ट युक्त लैंडफिल सुरक्षित कर लिया है, इसके अलावा पर्यारण संरक्षण अधिनियम 1989/HW Rules 2016 एवं MOEF एवं सी0सी0 एवं सी0पी0सी0बी0 दिशा निर्देशो के अनुसार लैंडफिल साईट की निगरानी और रख–रखाव 30 साल तक किया जाना है। अतः अनुरोध किया है कि सोलानी नदीके बाढ़ मैदान क्षेत्र का सींमाकन और पहचान करते हुए भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट लि0 के पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार वर्तमान में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) सोलानी नदी के दोनो किनारो पर फिल्ड में सींमाकन एवं निशानदेही का कार्य किया गया है। अतः भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट लि0 की आपत्ति निराधार है एवं खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
2	श्री सौरभ जुयाल पुत्र श्री मनोहर जुयाल, निवासी–04 बलबीर रोड देहरादून मो0–9997744929 आपत्ति का दिनांक–26.11.2024	ग्राम सिसौना जदीद मु0 में आपत्तिकर्ता ने कथन किया है कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाया गया है कि भूमि प्रतिषिद्ध/निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
3	श्री अमनदीप सिंह सेठी अधिकृत हस्ताक्षरी मै0 एच0एन0 कोरपरेशन रेटस प्राईवेट लि0 सिक्का हाउस प्रीत विहार विकास मार्ग देहली मो0–9997744929 आपत्ति का दिनांक–26.11.2024	ग्राम सिसौना जदीद मु0 एवं मक्खनपुर महमूद आलमपु जदीद मु0 तहसील–भगवानपुर में आपत्तिकर्ता ने कथनकर्ता है कि उत्तराखण्ड शासन से दिनांक–23.01.2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना की एवं भारत सरकार/राज्य सरकार आवास निति के अनुरूप किफायती आवास के निर्माण हेतु अनुमति ली गई है। भूमि को प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति का स्थल पर सयुंक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाया गया है कि भूमि प्रतिषिद्ध/निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।

P.T.O. 3

		के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की गई है, भूमि विक्रय कर ली गई है। विक्रय पत्र पंजीयन की प्रक्रिया शेष है।	
4	श्री राजेन्द्र सिंह, नरेश पाल पुत्रगण रहतूलाल यश्वेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल निवासी–नकीबपुर उर्फ घोषीपुरा तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। मो0–6397742029	ग्राम भिक्कर घोषपुर में खसरा नं0–488 में चकमार्ग दर्शित है, जबकि उक्त खसरा नम्बर आपत्तिकर्ता के नाम अंकित है एवं ग्राम नकीबपुर उर्फ घोषीपुरा में खसरा नम्बर–804 पर नदी दर्ज है, जबकि उक्त खसरा नम्बर आपत्तिकर्ता के नाम दर्ज है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्तिकर्ता की आपत्ति का निरीक्षण कर लिया गया है। आपत्तिकर्ता की आपत्ति सही पाई गई है। टंकन त्रुटि के कारण उक्त खसरा नम्बरो में नदी एवं चकमार्ग दर्शित हुआ है। अतः आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
5	श्री शमशाद अली व शान अली व इरफान अली पुत्रगण मौ0 शफी निवासी–खंजरपुर रूडकी जिला–हरिद्वार आपत्ति का दिनांक–16.12.2024	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
6	श्री मुस्तकीम पुत्र ईस्माईल, श्री मोहसीन, शौकीन पुत्रगण मुस्तकीम निवासी–ग्राम खन्जरपुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। मो0–8954057572, आपत्ति का दिनांक–13.12.2024	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नहीं है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
7	मौ0 असलम, अकरम, मुर्करम पुत्रगण अली हसन व मुर्तजा पुत्र मकसूद व शहजाद पुत्र नूरहसन निवासी–ग्राम खन्जरपुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक–13.12.2024	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का

			फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
8	श्री रमेश सिंह पुत्र धर्मसिंह, दिलीप सिंह पुत्र बीर सिंह, श्री अजय सिंह, हरिओम, अनिल, प्रदीप कुमार पुत्रगण कंवर सिंह निवासी– ग्राम खन्जरपुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक–13.12.2024	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
9	श्री उदय सिंह पुत्र स्व0 रामदास, निवासी–ग्राम खटका तहसील–रूडकी आपत्ति दिनांक–16.12.2024 मो0–6398606968	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
10	श्री राकेश पुत्र स्व0 रामदास निवासी–ग्राम खटका तहसील–रूडकी आपत्ति दिनांक–16.12.2024 मो0–8630921788	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।

11	श्री सुभाष कुमार पुत्र स्व0 यशपाल, निवासी–ग्राम खटका तहसील–रूडकी आपत्ति दिनांक–16.12.2024 मो0–9837485831	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
12	श्री नूरहसन व युनुस पुत्र नसीब खां निवासी–ग्राम कान्हापुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक–15.12.2024, मो0–96756656734	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
13	श्री धर्मेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार, अर्जुन कुमार पुत्रगण स्व0 धर्मसिंह, विनोद, सुदीप कुमार, अशोक कुमार पुत्रगण जयपाल सिंह निवासी–ब्रहमपुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक–16.12.2024, मो0–9027657068	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
14	श्री नूरहसन व युनुस पुत्र नसीब खां निवासी–ग्राम कान्हापुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक–16.12.2024, मो0–9760940076	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं

			100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
15	श्री बिजेन्द्र कुमार, राजकुमार, अनिल कुमार पुत्रगण ताराचन्द्र, श्रीमति कान्ती देवी पत्नी रघुवीर सिंह, निवासी–ग्राम कान्हापुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक–13.12.2024, मो0–9675656734	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
16	श्री जिला सिंह पुत्र स्व0 नकली, निवासी–ग्राम कान्हापुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक–16.12.2024, मो0–9837732453	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
17	श्री नाथीराम पुत्र नकली कान्हापुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक–16.12.2024, मो0–9837732453	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

P.T.O.- 7

			अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
18	श्री अरविन्द कुमार पुत्र बाबूराम निवासी–ग्राम खटका तहसील–रूडकी आपत्ति दिनांक–16.12.2024 मो0–9967966550	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
19	श्री सुन्दर पुत्र रामदास, निवासी–ग्राम खटका तहसील–रूडकी आपत्ति दिनांक–16.12.2024 मो0–8979696114	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
20	श्री यासीन पुत्र दीन मौहम्मद, निवासी–ग्राम कान्हापुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक–16.12.2024, मो0–9627229928	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
21	मौ0 मुस्तकीम, मौ0 इकबाल, मौ0 अफजाल, मौ0 फययाज, मौ0 वहीद, मौ0 इरफान पुत्रगण हाशिम, सलमान,	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन

P. T. O. - 8

	शादाब, शेरखान पुत्रगण सयद, निवासी–ग्राम कान्हापुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक–16.12.2024, मो0–6396648606	भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।	सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
22	श्री मुनसब, इरसाद, निसार पुत्रगण हसमत, नूर आलम पुत्र मुनफैत, बिरासत, अफसर अली, आजम पुत्रगण इलियास, फरमान, गुलजार, शहजाद पुत्रगण यामीन, निवासी–ग्राम कान्हापुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक–16.12.2024, मो0–7617472850	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
23	श्री मुस्तफा, मुर्तजा, जब्बार, सज्जाद पुत्रगण कासिम, निवासी–ग्राम कान्हापुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक–16.12.2024, मो0–9012120100	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
24	श्री इखलाख पुत्र शौकत, श्री नूरअली, अफसर अली, मुज्जमिल,मुदस्सीर पुत्रगण हुसैन अली, आशिया पुत्री मुस्तकीम,काफिया पुत्री मुर्सलीन, जुबेर, गुलजार पुत्रगण अली अहमद, रियासत, फिरासत, हसरत अली, नसरत अली पुत्रगण तहसीन, नूरआलम, अकील अहमद पुत्रगण यासीन, मौ0 सरताज,	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि का मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है।

	मौ रियाज पुत्रगण मुस्तफा, निवासी–ग्राम कान्हापुर तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार। आपत्ति का दिनांक–16.12.2024, मो0–969022351		अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
25	श्री गालिब पुत्र मौ0 अली, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–16.12.2024, मोब0–9997513775	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
26	श्री शमशाद पुत्र इस्लाम, दिलशाद पुत्र इस्लाम, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–16.12.2024, मोब0–9639752940	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
27	श्री शमशाद पुत्र इस्लाम, दिलशाद पुत्र इस्लाम, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–16.12.2024, मोब0–9639752940	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।

P.T.O. 10

28	श्री बिलाल अहमद, तुफैल अहमद, जुबेर आलम, मौ तैयब पुत्रगण यामीन, श्री शमशाद पुत्र इस्लाम, दिलशाद पुत्र इस्लाम, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–16.12.2024, मोब0–9058027833	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
29	श्रीमति बतूल पत्नी मल्हू, श्री सुहेब आलम पुत्र समीम, श्री शमशाद पुत्र इस्लाम, दिलशाद पुत्र इस्लाम, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–16.12.2024, मोब0–9737267655	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
30	श्री नफीस, फुरकान, इरफान, इमरान पुत्रगण ताहिर हसन, श्री शमशाद पुत्र इस्लाम, दिलशाद पुत्र इस्लाम, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–16.12.2024, मोब0–8077865796	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
31	श्री धर्मवीर सिंह, निवासी–खुब्बनपुर, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मोब–9759079172	आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी भूमि को नदी से दूर बताया गया है एवं प्रतिषिद्व व निर्बन्धित घोषित न करने की प्रार्थना की गई है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाया गया है कि भूमि प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है।

P.T.O-11

			अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
32	श्री राजकुमार, रमेश, नरेश, दिनेश पुत्रगण जुल्फीराम, मुकेश, स्वराज, बंसत, ऋषिपाल, महीपाल पुत्रगण श्यामलाल, परमिन्दर पुत्र रामवीर निवासी–ग्राम–मलकपुर माजरा, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मोब0–9897096835	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
33	श्री मेहर सिंह, जोगेन्द्र, मेहराज पुत्रगण गौतम सिंह, रविकान्त, सूर्यकान्त पुत्रगण अमर सिंह, रमेश चन्द्र, तेजपाल, रामकुमार पुत्रगण शौभाराम आदि समस्त निवासी गण, ग्राम ब्रहमपुर, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024,	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
34	श्री सलीम अहमद पुत्र रहमइलाही, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मोब0–7906568176	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
35	श्री सलीम अहमद पुत्र रहमइलाही, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी,	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन

	जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मोब0–7906568176	भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
36	श्रीमति शमशीदा पत्नी सलीम निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मोब0–7906568176	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
37	श्रीमति शमशीदा पत्नी सलीम निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मोब0–7906568176	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
38	श्री इलियास पुत्र मौ अली निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मोब0–7017120301	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है।

P.T.O. 13

			अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
39	श्री इलियास पुत्र मौ अली निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार/दिनांक–17.12.2024, मोब0–7017120301	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
40	श्री शौकत पुत्र रहमइलाही, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार/दिनांक–17.12.2024, मोब0–8923204176	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
41	श्री कयूम पुत्र शौकत, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार/दिनांक–17.12.2024, मोब0–8923204176	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।

P.T.O. 14

42	श्री मुकेश कुमार पुत्र भूप सिंह, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मोब0–9536150590	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
43	श्री मुकेश कुमार पुत्र भूप सिंह, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मोब0–9536150590	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
44	श्री शौकत पुत्र रहमइलाही, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मोब0–8923204176	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
45	श्री नवाब, ईनाम, कयूम, अयूब, महबूब पुत्रगण शौकत, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मोब0–8923204176	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो उचित मुआवजा अथवा भूमि के बदले बंजर भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं

			100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
46	श्री जुल्फू पुत्र फुल्लु, तनवीर, नाजिम पुत्रगण मुमताज, निवासी–कान्हापुर, सत्यपाल पुत्र वेदपाल निवासी–आर्दश नगर, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार/दिनांक–17.12.2024, मोब0–6395692644	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो उचित मुआवजा अथवा भूमि के बदले बंजर भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
47	श्री शाकीब पुत्र मुनसब, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार/दिनांक–17.12.2024, मोब0–639887115	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि को तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो उचित मुआवजा अथवा भूमि के बदले बंजर भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
48	श्री सुक्कड सिंह पुत्र ज्योतिराम निवासी–लाव्वा, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार/दिनांक–17.12.2024, मो0–9759528803	ग्राम लाव्वा में आपत्तिकर्ता ने कथन किया है कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, सयं क्त निरीक्षण के अनुसार पाय गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। वर्तमान में खसरा संख्या जिस हिस्से पर आपत्तिकर्ता काबिज है, वह हिस्सा प्रतिषिद्व एवं निर्बन्धित क्षेत्र से बाहर है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।

49	श्री विनेश कुमार पुत्र यशपाल सिंह, निवासी–लाव्वा, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मो0–9557927196	ग्राम लाव्वा में आपत्तिकर्ता ने कथन किया है कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, सयं क्त निरीक्षण के अनुसार पाय गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। वर्तमान में खसरा संख्या जिस हिस्से पर आपत्तिकर्ता काबिज है, वह हिस्सा प्रतिषिद्व एवं निर्बन्धित क्षेत्र से बाहर है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
50	श्री सत्यपाल पुत्र श्री कालूराम, निवासी–लाव्वा, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मो0–8477023828	ग्राम लाव्वा में आपत्तिकर्ता ने कथन किया है कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, सयं क्त निरीक्षण के अनुसार पाय गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
51	श्री तेल्लूराम पुत्र रामस्वरूप, निवासी–लाव्वा, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मो0–9761247295	ग्राम लाव्वा में आपत्तिकर्ता ने कथन किया है कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, सयं क्त निरीक्षण के अनुसार पाय गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
52	श्री मुनेश कुमार पुत्र कालूराम, निवासी–लाव्वा, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मो0–9536421625	ग्राम लाव्वा में आपत्तिकर्ता ने कथन किया है कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाय गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।

P.T.O. 17

53	श्री सुरेश,ऋषिपाल, कल्लू, जनेश्वर, प्रदीप पुत्रगण तुंगल, निवासी–कान्हापुर, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मो0–7500321034	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो उचित मुआवजा अथवा भूमि के बदले बंजर भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
54	श्री प्रदीप पुत्र तुंगल, निवासी–कान्हापुर, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मो0–9690229036	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो उचित मुआवजा अथवा भूमि के बदले बंजर भूमि दी जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
55	श्री मामचन्द्र पुत्र हिरवा, निवासी–औरेंगजेबपुर, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मो0–9690229036	ग्राम औरेंगजेबपुर में आपत्तिकर्ता ने कथन किया है कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, सयं क्त निरीक्षण के अनुसार पाय गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
56	श्री भारत भूषण पुत्र श्री बलदेव सहाय, निवासी–औरेंगजेबपुर, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024	ग्राम औरेंगजेबपुर में आपत्तिकर्ता ने कथन किया है कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाय गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।

P.T.O. 18

57	श्री ऋषिपाल सिंह पुत्र श्री चरत सिंह, निवासी–औरेंगजेबपुर, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024	ग्राम औरेंगजेबपुर में आपत्तिकर्ता ने कथन किया है कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाय गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
58	श्री जयकुमार पुत्र श्री चमेल सिंह, निवासी–औरेंगजेबपुर, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मो0–9719242597	ग्राम औरेंगजेबपुर में आपत्तिकर्ता ने कथन किया है कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाय गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व / निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
59	श्री असलम, नसीम, अहसान, रफीक, वसीम पुत्रगण कल्लू, श्रीमति मुस्तकीना पत्नी कल्लू, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मोब0–7820014525	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चा गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
60	श्री गालिब पुत्र मौहम्मद अली, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मोब0–9997513775	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चा गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्व क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।

61	श्री इलियास पुत्र मौहम्मद अली, निवासी–ग्राम खटका, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार/दिनांक–17.12.2024, मोब0–7017120301	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व/निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चा गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन/निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
62	श्रीमति सविता पत्नी मैनपाल, निवासी–औरेंगजेबपुर, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार/दिनांक–17.12.2024, मो0–6395537560	ग्राम औरेंगजेबपुर में आपत्तिकर्ता ने कथन किया है कि वर्णित भूमि स्थल पर नदी क्षेत्र से दूर है। भूमि को प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र में दर्शित किये जाने में त्रुटि की गई है एवं आपत्तिकर्ता के द्वारा पुनः स्थल पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की मांग की है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति का स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पाय गया कि सोलानी नदी के दोनो तटो पर भूमि प्रतिषिद्व/निर्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
63	श्रीमति सावित्री पत्नी भोपाल सिंह, निवासी–औरेंगजेबपुर, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार/दिनांक–17.12.2024, मो0–9761051261	ग्राम औरेंगजेबपुर में आपत्तिकर्ता ने कथन किया है कि प्रार्थी को दिनांक'–17.12.2024 को ही बाढ मैदान क्षेत्र/बाढ़ प्रतिषिद्व करने की घोषणा की जानकारी मिली है। उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में कोई नोटिस जारी नही किया गया है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार वर्तमान में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) सोलानी नदी के दोनो किनारो पर फिल्ड में सींमाकन एवं निशानदेही का कार्य किया गया है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति निराधार है एवं खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
64	श्री भोपाल सिंह, राजकुमार पुत्रगण चौहल सिंह, निवासी–औरेंगजेबपुर, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार/दिनांक–17.12.2024, मो0–9761051261	ग्राम औरेंगजेबपुर में आपत्तिकर्ता ने कथन किया है कि प्रार्थी को दिनांक'–17.12.2024 को ही बाढ मैदान क्षेत्र/बाढ़ प्रतिषिद्व करने की घोषणा की जानकारी मिली है। उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में कोई नोटिस जारी नही किया गया है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार वर्तमान में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) सोलानी नदी के दोनो किनारो पर फिल्ड में सींमाकन एवं निशानदेही का कार्य किया गया

			है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति निराधार है एवं खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
65	श्रीमति राधा पत्नी स्व0 जगदीश, निवासी–औरेंगजेबपुर, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार / दिनांक–17.12.2024, मो0–7409379518	ग्राम औरेंगजेबपुर में आपत्तिकर्ता ने कथन किया है कि प्रार्थी को दिनांक'–17.12.2024 को ही बाढ मैदान क्षेत्र / बाढ़ प्रतिषिद्व करने की घोषणा की जानकारी मिली है। उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में कोई नोटिस जारी नही किया गया है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार वर्तमान में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) सोलानी नदी के दोनो किनारो पर फिल्ड में सींमाकन एवं निशानदेही का कार्य किया गया है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति निराधार है एवं खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
66	श्री राकेश पुत्र ओमप्रकाश, पुष्पा रानी पुत्री धर्मवती मनोज कुमार पुत्र राजेन्द्र, प्रदीप कुमार पुत्र ऋषिपाल, निवासी–खन्जरपुर मलकपुर, तहसील–रूडकी, जिला–हरिद्वार / दिनांक–18.12.2024, मो0–8077441577	आपत्तिकर्ता का कथन है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की भूमि की तटबन्ध के लिए प्रतिषिद्व / निर्बन्धित किया जाता है, तो भूमि प्रतिकर वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रदान किया जायें।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।
67	श्री नाथीराम, सुखबीर सिंह पुत्रगण स्व0 फुल सिंह, निवासी ग्राम सालियर साल्हापुर, तहसील–रूडकी, जिला हरिद्वार, दिनांक–18.12.2024 के बाद प्राप्त हुई है।	आपत्तिकर्ता का कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि पर तटबन्ध निर्माण हेतु आपत्ति की गई है।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0–632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में 25 वर्ष बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सींमाकन / निशानदेही की गई है। वर्तमान में तटबन्ध की कोई योजना नही है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी की आख्यानुसार आपत्ति निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।

P.T.O. 21

अतः शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांकित 14.10.2024 के क्रम में उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निस्तारण करते हुए आख्या सादर प्रेषित है।

भवदीय,

17.02.25

(कर्मेन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी/बाढ मैदान
परिक्षेत्रण प्राधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1– रजिस्ट्रार जनरल, मा0 एन0जी0टी0 फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली–110001
2– सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46 बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।
3– प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
4– ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट, रूडकी।
5– मुख्य अभियन्ता, स्तर–।।, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड हरिद्वार।
6– अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार।
7– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार।
8– अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, सिंचाई खण्ड रूडकी।
9– क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रूडकी।

जिलाधिकारी/बाढ मैदान
परिक्षेत्रण प्राधिकारी,
हरिद्वार।

Outlook

Proof of Service

Status Report on behalf of District Magistrate, Haridwar in OA No. 632 of 2022 VK Tyagi Vs State of Uttarakhand & Ors

From dhruv tamta <tamtaadvocates@outlook.com>

Date Sat 2/22/2025 10:58 AM

To MVERMADV@YAHOO.CO.IN <mvermadv@yahoo.co.in>; MVERMADV@GMAIL.COM <mvermadv@gmail.com>; bhanwar09jadon@gmail.com <bhanwar09jadon@gmail.com>; advrahulverma9999@gmail.com <advrahulverma9999@gmail.com>; gigicgeroge.adv2@yahoo.in <gigicgeroge.adv2@yahoo.in>

1 attachment (12 MB)

Status Report on behalf of District Magistrate Haridwar in OA No. 632 of 2022 VK Tyagi Vs State of Uttarakhand & Ors..pdf;

To,

MUKESH VERMA ADV , **Email** MVERMADV@YAHOO.CO.IN,MVERMADV@GMAIL.COM
Bhanwar Pal Singh Jadon Adv, **Email** bhanwar09jadon@gmail.com
Gigi C. George Adv, 9810625315, Email gigicgeroge.adv2@yahoo.in
RAHUL VERMA ADV , Email- advrahulverma9999@gmail.com

Sir?Madam

Please find attached the copy of the status Report on behalf of District Magistrate, Haridwar in above noted matter.

regards
Dhruv Tamta
Advocate
+91-9899989917

regards
Dhruv Tamta
Advocate
+91-9899989917

Disclaimer: The content of this electronic communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and any others who are specifically authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or otherwise placing reliance on the contents of this information is prohibited and may be unlawful in certain legal jurisdictions. If you have received this communication by error please notify the sender immediately and then delete it from your system.

Security Warning: Although this e-mail and its attachments are believed to be free from any virus, it is the responsibility of the recipient to ensure that they are virus free.

Please consider the environment before printing this e-mail.